संख्या–4215 / 9–आ–3–2001–176एल0ए0 / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास प्राधिकरण,
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग–3

लखनऊः दिनाँक–19 अक्टूबर, 2001

विषय : नियोजन की दृष्टि से 10 एकड़ से कम भूमि को अर्जित न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद / विकास प्राधिकरणों द्वारा बनायी गयी / बनायी जा रही योजनाओं के संदर्भ में शासन द्वारा इस विषय पर विचार किया गया कि बाइबिलिटी एवं नियोजन के दृष्टिकोण से इन संस्थाओं द्वारा कम से कितनी भूमि पर इस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जायें। शासन के संज्ञान मे यह बात आई कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पूर्व में कई स्थानों पर एक या दो एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की भूमि में भी छोटी–छोटी योजनाएं प्रस्तावित / क्रियान्वित की गई हैं। यह भी स्पष्ट हुआ कि कितनी छोटी भूमि सामान्यताः शहर के बीच में प्राधिकरणों ने अधिग्रहण का प्रस्ताव किया परन्तु अधिकतर मामले न्यायालय में ही विवादग्रस्त एवं लम्बित रहे और जहां अर्जन हुआ भी वहां केवल कुछ ही परिवारो के रहने के लिए स्थान सुलभ हो पाये और इस प्रकार जनसामान्य को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से योगदान नगण्य ही रहा जबकि दूसरी ओर शहर के मध्य की भूमि कीमती होने के कारण प्राधिकरण को इसके अधिग्रहण में क्रय धनराशि भी व्यय करनी पड़ती है और अधिकांश भू–धारक इसका विरोध करते हैं और मामले न्यायालय में भी विवादित बने रहते हैं।

2. अतः उक्त वर्णित स्थिति में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है किः

(1) प्राधिकरणों द्वारा अब तक पूर्व में 5 एकड़ तक की आवासीय योजनाओं (जिनमें धारा–4 की अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है) के क्रियान्वयन यथा भूमि पर कब्जा, अभिनिर्णय, भूमि विकास / निर्माण आदि की स्थिति की समीक्षा कर ली जाए और इनमें से जो योजनाएं न्यायालयों में विवादित हो अथवा एक लम्बी अवधि तक कब्जा न मिल सका हो तो ऐसी योजनाओं को समाप्त कर दिया जाय। यदि किन्हीं विशेष कारणों से अर्जन किया जाना आवश्यक ही हो तो प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित प्रकरण पूर्ण औचित्य सहित शासन को अन्तिम निर्णय हेतु विलम्बतम तीन माह के अन्दर संदर्भित किया जाय। इस अवधि के उपरान्त किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) भविष्य में नियेाजन की दृष्टि से आवासीय समस्या के निदान हेतु सामान्यताः 10 एकड़ अथवा उससे अधिक की योजनाएं ही बनायी जाएं और उसी के अनुसार भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिनमें धारा–4 की अधिसूचना का प्रकाशन नहीं हुआ है वे इसी श्रेणी में आयेंगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त लिखे गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने कष्ट करें ।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0 को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।